न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी – डॉ0 सौम्या झा
आई०ए०एस०

नामान्तरण अपील 24 / 2022

1. गोपी देवी पुत्री महादेव पत्नि मूलचंद जाति मीना निवासी प्यारीवास हाल निवासी राजपुरा तहसील नांगल राजावतान
2. कमला देवी पुत्री महोदव पत्नि रामेश्वर जाति मीना निवासी प्यारीवास हाल निवासी कालीखाड तहसील नांगल राजावतान

....अपीलान्ट

बनाम

1. गिर्राज प्रसाद पुत्र राधेश्याम
2. दिनेश कुमार पुत्र राधेश्याम
3. रामदयाल पुत्र राधेश्याम
4. राभजन पुत्र राधेश्याम
   समस्त जाति मीना निवासी प्यारीवास तहसील नांगल राजावतान
5. जगदीश नारायण पुत्र जयनारायण जाति मीना निवासी हीरापुरा लूणियावास तहसील सांगानेर
6. छोटा पत्नि मोतीलाल
7. मन्नालाल पुत्र मोतीलाल
8. कैलाश पुत्र मोतीलाल
   समस्त जाति मीना निवासी हीरापुरा लूणियादास तहसील सांगानेर
9. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सैथल

... रेस्पों0

अपील अर्न्तगत धारा 75 एल. आर. एक्ट. विरूद्ध आदेश, उप तहसीलदार लवाण दिनांक 3.01.2010 जो नामान्तरण संख्या 257 ग्राम प्यारीवास तहसील नांगल राजावतान पर पारित किया गया है।

उपस्थित– 1. श्री विनोद विजय, अधिवक्ता अपीलांट्स।

2. श्री रामावतार बैरवा अधिवक्ता रेस्पों0 सं0 1 से 4
3. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय दिनांक 3.6.2026

1. संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि उप तहसीलदार लवाण द्वारा ग्राम प्यारीवास के पारित नामान्तरण सं0 257 दिनांक 3.1.2010 से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई है।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थी की तलबी की गई।
3. सर्वप्रथम पत्रावली में संलग्न दफा 5 कानून मियाद के प्रार्थना पत्र पर उपस्थित अधिवक्तागण की बहस सुनी। अधिवक्ता अपीलांट्स ने कथन किया कि निर्णय अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार लवाण दिनांक 3.01.2010 जो नामान्तकरण संख्या 257 ग्राम प्यारीवास पर पारित किया गया है. कि अपीलान्ट को कतई जानकारी नही थी क्यो कि उक्त निर्णय अपीलान्ट को नोटिस दिये बिना व अपीलान्ट को सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व मौका स्थिती व कब्जे की जॉच किये बिना पारित किया गया है इसलिये अपीलान्ट को उक्त निर्णय की कतई जानकारी नही थी सर्वप्रथम दिनांक 21.08.2022 को अपीलान्ट अपने पिता के गाँव आयी हुई थी और मौके पर उक्त भूमि पर गयी तो वहाँ पर रेस्पो जगदीशनारायण व मन्नालाल आये तथा अपीलान्ट से कहा कि उक्त भूमि तो हमने खरीद रखी है तथा हमारे नाम खातेदारी मे है उक्त भूमि पर अब हम कब्जा करेगे तो अपीलान्ट ने उक्त लोगो को समझाया कि उक्त भूमि हमारे पिता की है तुम खरीदने वाले कौन होते

जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हो तो उन्होने कहा कि हमने राधेश्याम से खरीद ली है और हमारे नाम नामान्तरण खुलवा रखा है तब अपीलान्ट ने उन्हे समझा बुझाकर भेजा तथा पटवारी हलका से उक्त नामान्तकरण बाबत पूछा तो पटवारी हल्का ने बताया कि खसरा नंबर 445 रकबा 0.50 है0 एवं खसरा नंबर 454 रकबा 2.0000 है० का नामान्तरण राधेश्याम के बजाय जगदीश व मोतीलाल के नाम खुला हुआ है तब अपीलान्ट ने दिनांक 22.08.2022 को उक्त नामान्तकरण संख्या 257 की नकल ली तब अपीलान्ट को सर्वप्रथम उक्त नामान्तरण का ज्ञान हुआ इससे पूर्व अपीलान्ट को उक्त विक्रय व नामान्तरण की कतई जानकारी नही थी तब वकील नियुक्त कर अपील तैयार करवाकर श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है जो जानकारी से अन्दर मयाद है । वैसे भी उक्त आदेश अवैध अमान्य व प्रभावशून्य आदेश है जिसकी अपील करने की कोई मयाद नही होती है किन्तु फिर भी अपील जानकारी से अन्दर मयाद पेश है। अतः प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर देरी को माफ किया जावे। राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अत्यधिक विलंब से पेश की गई है। अपीलांट को उक्त नामान्तरण की पूर्व से जानकारी थी। अतः अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे। अधिवक्ता अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता की दफा 5 कानून मियाद के बिन्दु पर सुनी गई बहस पर मनन किया गया। प्रा0पत्र एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा अपील जानकारी से अंदर मियाद पेश की गई है। डिले कन्डोन किया जाकर अपील की सुनवाई किया जाना न्यायोचित है। अतः धारा 5 कानून मियाद स्वीकार किया जाता है।

4. तत्पश्चात मूल नामान्तरण अपील पर बहस सुनी गई।

5. अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाके ग्राम प्यारीवास में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 196, 197, 193, 201 228, 229, 269, 272, 366, 369, 371, 383, 445, 414 कुल किता 14 कुल रकबा 11.33 है0 का खातेदार व काबिज काश्तकार अपीलान्ट का पिता महादेव पुत्र लछमा उर्फ लक्ष्मण जाति मीना निवासी प्यारीवास था उक्त महादेव की मृत्यु हो गयी है और महादेव के वारिस अपीलान्ट एवं राधेश्याम पुत्र महादेव था, महादेव की मृत्यु होने पर अपीलान्ट को सुनवायी एवं सबूत का अवसर दिये विना व अपीलान्ट को नोटिस दिये बिना मृतक महादेव के वारिस अपीलान्ट व राधेश्याम पुत्र महादेव होने के बावजूद भी ग्राम पंचायत प्यारीवास ने बिना अपीलान्ट को सुनवायी एवं सबूत का अवसर दिये बिना तथा बिना वारिसान की जाँच किये बिना उक्त महादेव की विरासत का नामान्तरण संख्या 83 दिनांक 17.09.98 को राधेश्याम पुत्र महोदव जाति मीना के नाम भरकर तस्दीक कर दिया उक्त राधेश्याम की मृत्यु हो गयी है और राधेश्याम के वारिस रेस्पों नंबर 1 लगा० 4 है। अपीलान्ट को उक्त नामान्तरण की जानकारी होते ही अपीलान्ट ने उक्त नामान्तकरण संख्या 83 दिनांक 17.09.98 के विरूद्ध एक अपील अनुवानी गोपी बनाम गिर्राज की उप जिला कलेक्टर नांगल राजावतान मे प्रस्तुत की उप जिला कलेक्टर नांगल राजावतान ने उक्त अपील को मंजूर करके और नामान्तरण संख्या 83 पर पारित आदेश को निरस्त किया तथा प्रकरण को रिमान्ड किया। उक्त नामान्तरण के आधार पर प्राप्त की गयी खातेदारी के आधार पर राधेश्याम पुत्र महादेव ने उक्त भूमि मे से खसरा नंबर 445 मे से 0.50 है0 भूमि एवं खसरा नंबर 454 रकबा 2.0000 है० भूमि का एक अवैद्य विक्रय पत्र रेस्पो नंबर 5 जगदीश नारायण एवं मृतक मोतीलाल पुत्र बिरदया जाति मीना निवासी हीरापुरा लूणियावास के नाम करवा दिया और उक्त विक्रय पत्र के आधार पर उप तहसीलदार लवाण ने बिना कोई कब्जे की जॉच किये बिना व बिना वास्तविकता की जॉच किये बिना नामान्तरण संख्या 957 ग्राम प्यारीवास दिनांक 03.01.2010 को तस्दीक कर दिया। उप तहसीलदार लवाण के आदेश दिनांक 3.01.2010 जो नामान्तरण संख्या 257 ग्राम प्यारीवास पर पारित किया गया है के विरूद्ध यह अपील श्रीमान के समक्ष अपील पेश की जा उरहीह है। निर्णय अधिनस्थ न्यायालय विधि विरूद्ध प्रकिया नियमो के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व बिना मौके की जॉच किये बिना उक्त निर्णय पारित किया है अतः निर्णय अधिनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। उक्त भूमि का खातेदार अपीलान्ट का पिता महोदव पुत्र लछमा उर्फ लक्ष्मण जाति मीना निवासी प्यरीवास था उक्त अपीलान्ट के पिता के

जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वारिस अपीलान्ट व राधेश्याम थे किन्तु राधेश्याम ने बिना अपीलान्ट को सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना उक्त महादेव पुत्र लछमा का नामान्तरण संख्या 83 दिनांक 17.09.1998 को अपने अकेले के नाम खुलवा लिया और उक्त अकेले के नाम खुलवाये गये नामान्तरण के आधार पर प्राप्त की गयी खातेदारी के आधार पर उक्त भूमि मे से खसरा नंबर 445 रकबा 0.50 है० एवं 454 रकबा 2.000 है० का एक अवैध विक्रय पत्र रेस्पो नंबर 5 एवं मोतीलाल पुत्र बिरदया के नाम तस्दीक करवा दिया जिसके आधार पर उक्त नामान्तकरण संख्या 257 उप तहसीलदार ने उक्त लोगो के नाम तस्दीक कर दिया। अपीलान्ट को विरासत के नामान्तरण की जानकारी होते ही अपीलान्ट ने विरासत के नामान्तकरण की अपील उप जिला कलेक्टर नांगल राजावतान के यहाँ पेश की जिस अपील को उप जिला कलेक्टर नांगल राजावतान ने स्वीकार करके तथा नामान्तरण निरस्त करके रिंभान्ड किया है। जब मूल विरासत का नामान्तरण ही निरस्त हो चुका है तो उक्त विरासत के नामान्तरण के आधार पर प्राप्त की गयी खातेदारी के आधार पर किये गये विक्रय पत्र के आधार पर खुला नामान्तरण स्वमेय ही निरस्त योग्य है अतः निर्णय अधिनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। अधिनस्थ न्यायालय ने कब्जे की जॉच किये बिना व बिना वारिसान की जॉच किये बिना उक्त नामान्तरण तस्दीक किया है जबकि मौके पर उक्त भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाकर, निर्णय उप तहसीलदार लवाण दिनांक 03.01.2010 जो नामान्तरण संख्या 257 ग्राम प्यारीवास पर पारित किया गया है को निरस्त फरमाने की कृपा करे।

6. अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 से 4 ने उक्त नामान्तरण निरस्त किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।
7. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि उप तहसीलदार लवाण के द्वारा पारित प्रश्नगत नामान्तरण आदेश पंजीकृत विकय पत्र के आधार पर विधिवत रूप से पारित किया गया है। अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।
8. अप्रार्थी सं0 5 से 8 के बाद तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।
9. हमने उपस्थित अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।
10. अपीलार्थीगण द्वारा उप तहसीलदार, लवाण द्वारा ग्राम प्यारीवास के नामांतरण संख्या 257 दिनांक 03.01.2010 को चुनौती दी गई है, जो उनके भाई राधेश्याम द्वारा निष्पादित विक्रय के आधार पर क्रेता पक्ष के पक्ष में दर्ज हुआ।
11. विवादित नामांतरण वर्ष 2010 का है तथा प्रस्तुत अपील वर्ष 2022 में, लगभग 12 वर्ष पश्चात, उस समय प्रस्तुत की गई जब क्रेता पक्ष द्वारा भूमि पर अधिकार जताया गया। अभिलेख से प्रकट होता है कि विक्रय के समय राधेश्याम तत्कालीन राजस्व अभिलेख में दर्ज खातेदार था, जिस पर विश्वास कर क्रेता पक्ष ने सद्भावपूर्वक मूल्य देकर भूमि क्रय की। मूल उत्तराधिकार नामांतरण संख्या 83 के पश्चातवर्ती अपास्त/प्रत्यावर्तित होने मात्र से, सद्भावी क्रेता के पक्ष में पूर्व में सम्पन्न विक्रय एवं तदाधारित नामांतरण स्वतः अमान्य नहीं हो जाता।
12. अपीलार्थीगण द्वारा सद्भावी क्रेता के विरुद्ध सीधे नामांतरण निरस्तीकरण की राहत चाही गई है, जबकि उनका वास्तविक अनुतोष, यदि कोई हो, विक्रेता पक्ष (भाई राधेश्याम/उसके वारिसान) से अपने हिस्से के मूल्य/लेखा–जोखा हेतु सक्षम सिविल न्यायालय में है। नामांतरण संख्या 83 के संबंध में उत्तराधिकार–जांच सक्षम अधिकारी के समक्ष विचाराधीन है; उक्त कार्यवाही का प्रभाव विक्रेता पक्ष के विरुद्ध रहेगा, सद्भावी क्रेता के विरुद्ध नहीं। राजस्व नामांतरण–अपील में सद्भावी क्रेता का शीर्षक इस आधार पर विवादित किया जाना न्यायोचित नहीं है।
13. उपरोक्त विवेचन के आधार पर नामांतरण संख्या 257 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है तथा क्रेता पक्ष के पक्ष में दर्ज नामांतरण यथावत् रखा जाता है। अपीलार्थीगण को स्वतंत्रता रहेगी कि वे अपने हिस्से/मूल्य संबंधी दावे हेतु विक्रेता पक्ष के विरुद्ध सक्षम सिविल न्यायालय में विधि अनुसार कार्यवाही प्रस्तुत करें। इस आदेश से पंजीकृत विक्रय–पत्र की वैधता अथवा पक्षकारों के अंतिम स्वामित्व/हिस्से पर कोई अभिमत व्यक्त नहीं

जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

किया गया है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(डॉ0 सौम्या झा)
जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 03 जून, 2026 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियम समयावधि के भीतर की जा सकेगी।

(डॉ0 सौम्या झा)
जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official